न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2665-I/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला श्योपुर प्रकरण क्रमांक 14/2011–12/अ–68

विजय शंकर पुत्र श्री प्रहलाद खाती,
निवासी बड़ाखेड़ा जिला श्योपुर

.....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा तहसीलदार
जिला श्योपुर

..... अनावेदक

श्री ए0के0सिंघल, अभिभाषक आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अनावेदक शासन, पेनल अभिभाषक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 14/2011–12/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 08–08–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" का जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बड़ाखेड़ा की भूमि कमांक 228 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा एक ही खेत होकर रामनाथ पुत्र धन्ना निवासी ग्राम छोटाखेड़ा इस भूमि का उपकृषक होकर वैधानिक रूप से इस पर काश्त करता था, जो मृतक हो चुका है । इस सम्पूर्ण रकवे पर अब मृतक रामनाथ के वारिसान उसी हैसियत से काश्त

करते आ रहे हैं । इस भूमि के संबंध में रामनाथ ने एक दीवानी दावा कमांक 600/88ए इ.दी. म0प्र0शासन तथा तहसीलदार श्योपुर के विरूद्ध दायर किया था जिसमें दिनांक 03–02–1990 को निर्णय एवं डिकी पारित की जिसके अनुसार रामनाथ को अतिक्रामक न मानकार रामनाथ का कब्जा विधि अनुकूल माना गया है, जो इस न्यायालय पर बन्धनकारी होकर आवेदक इस भूमि के अतिक्रामक नहीं है । तहसीलदार न्यायालय द्वारा कारण बताओं नोटिस आवेदक को अतिक्रामक मानकर जारी किया । उक्त नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया। नोटिस के जबाव के साथ आवेदक ने सिविल कोर्ट का निर्णय एवं डिकी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की । आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया कि प्रकरण में क्षेत्राधिकार का प्रश्न धारा 248 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है जैसा कि सिविल कोर्ट द्वारा निर्ण किया गया है कि वादी की अतिक्रामक की हैसियत नहीं है उसके बिना वैधानिक प्रकिया का अनुशरण किया जाना विधि विरूद्ध होगा परन्तु तहसीलदार ने प्रचलनशीलता के संबंध में और क्षेत्राधिकार के संबंध में गहन विचार न करते हुये विवादित आदेश दिनांक 08–08–2012 पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि तहसीलदार द्वारा कारण बताओं नोटिस आवेदक को अतिक्रामक मानकार जारी किया गया जिसे जारी करने से पहले इसकी जॉच नहीं की गई कि आवेदक अतिक्रामक है अथवा नहीं। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का वैधानिक कब्जा है और वह बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये आवेदक को बेदखल नहीं कर सकते है । तहसीलदार द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी इस तरह के कारण बताओं नोटिस जारी किये गये थे एवं तहसीलदार द्वारा उनकी आपत्तियॉ निरस्त की गई थी । उक्त निरस्तीयों के विरूद्ध समान परिस्थितियों में अन्य याचिकाकर्तागण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई थी जिनमें डब्ल्यू0पी0 कमांक 337/2013 गौरीशंकर बनाम शासन, 338/2013 रविशंकर बनाम शासन एवं 339/2013 शंभुदयाल बनाम शासन जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत तहसीलदार को यह निर्देश दिये कि तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करने के पूर्व दो प्रश्नों का

निराकरण करना आवश्यक है प्रथम कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रामक की हैसियत से काबिज हैं अथवा नहीं एवं द्वितीय प्रश्न कि धारा 248 सी0आर0पी0सी0 के तहत जारी सूचना पत्र स्थिर रहने योग्य है अथवा नहीं । आदेशों की प्रतिलिपियॉ भी लिखित तर्क के साथ प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन किया गया। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को वैधानिक एवं विधिसंगत बताते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करने का अनुरोध किया ।

5– मैंने प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया । आवेदक द्वारा जिन बिन्दुओं पर निगरानी पेश की है वह बिन्दु उसने विचारण न्यायालय के समक्ष कारण बताओं नोटिस के जबाव के तौर पर पेश किये हैं । इन सभी बिन्दुओं का निराकरण करने का आशय प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना है । प्रारंभिक सुनवाई की स्टेज पर इनका निराकरण करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है । अतः तहसीलदार ने उसकी प्रारंभिक आपत्ति को निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है । प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उसे उपलब्ध है जिसमें उठाये बिन्दुओं का विधिवत् निराकरण विचारण न्यायालय द्वारा अपने अंतिम आदेश में किया जावे । इस स्टेज पर इस निगरानी को सुनने का कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर